कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी

संख्यांकः जू0हा0 स्कूल मान्यता/ / /2018–19 दिनांक–20दिसम्बर, 2018

माध्यम–अंग्रेजी

प्रबन्धक,
सुदिति ग्लोवल एकेडमी, देवी बाई पास रोड, नगरिया,
वि0ख0–मैनपुरी, जनपद–मैनपुरी।

विषयः **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय,

खण्ड शिक्षा अधिकारी, **मैनपुरी** की संस्तुति और आपके तारीख 31.08.2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार **सुदिति ग्लोवल एकेडमी, देवी बाई पास रोड, नगरिया,** वि0ख0–**मैनपुरी**, जनपद–मैनपुरी को तारीख 01.04.2018 से तारीख 31.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
7. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
8. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
9. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
10. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
11. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
12. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
13. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता हैं और।

क्रमशः ....

14. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
15. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
16. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–	25192.66 वर्ग मी0।
कुल निर्मित क्षेत्र	–	9289.33 वर्ग मी0।
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	–	22860.15 वर्ग मी0।
कक्षाओं की संख्या	–	64 लेण्टर्ड कक्ष
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष	–	पृथक–1 कक्ष उपलब्ध है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	–	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	–	उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	–	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुंच	–	उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता– उपलब्ध है।

17. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
18. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
19. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधि नियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
20. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
21. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
22. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक– ...11541-43.../2018–19 दि0 20-12-18 .. है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
23. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर दिशा निर्देश/जिला अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
24. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
25. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(विजय प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मैनपुरी

पृ0सं0: जू0हा0 स्कूल स्तर मान्यता/ 11541-43 /2018–19 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, मैनपुरी।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, **मैनपुरी**।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मैनपुरी।